न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलौदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–221/2024 जी.सी.एम.एस.नम्बर :–2024/533

दायर दिनांक :– 26.12.2024 निर्णय दिनांक :– 10.04.2026

1. पपू पत्नी रमजे खां जाति मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. पृथ्वीसिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. जितेन्द्रसिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1.मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3.श्री नारायणसिंह भाटी अधि.प्रति.सं. 1 ता 3

–::निर्णय::–

वादिनी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि सदहद ग्राम जानुपुरा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में वादिनी के क्रयसुदा खातेदारी अधिकारों की सहखातेदारों की कब्जासुदा भूमि खेत खसरा नम्बर 1172/3 रकबा 9.8015 हैक्टेयर किस्म बारान चतुर्थ आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1172/3 रकबा 9.8015 हैक्टेयर भूमि तत्कालीन खातेदार आसूसिंह पुत्र अचलसिंह के नाम खातेदारी अधिकारों की राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, तत्कालीन खातेदार आसूसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज उक्त खसरा नम्बर में से रकबा 24–12 बीघा भूमि दिनांक 06.04.2016 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादिनी के पक्ष में विक्रय विलेख पंजीबद्ध व निष्पादित करवाकर भौतिक कब्जा सुपूर्द कर दिया था। तब से लेकर आजदिन तक वादिनी लगातार अपने हिस्से की क्रयसुदा रकबा 24–12 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त में है, अपने हिस्से की क्रयसुदा भूमि का उपयोग व उपभोग करती आ रही है। वादिनी ने अपनी उक्त क्रयसुदा भूमि के विक्रय विलेख की प्रतिलिपि विक्रय के अगले दिन हल्का पटवारी को दी थी लेकिन हल्का पटवारी ने घोर लापरवाही करते हुए वादिनी की क्रयसुदा भूमि का नामान्तरकरण वादिनी के पक्ष में खोलकर स्वीकृत नहीं करवाया। वादिनी अपनी उक्त क्रय सुदा भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने, खसरा नं. 1172/3 रकबा 60–11 बीघा भूमि में अपनी क्रयसुदा भूमि रकबा 24–12 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की जायज हकदार है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता नारायणसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पत्रावाली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर कथन किया कि भूमि रहन दर्ज है बैंक की सहमति आवश्यक है। माफिक बेचान दस्तावेज व पक्षकारो के इकबाली जवाबदावा अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। वादिनी के साक्ष्य का शपथ पत्र व बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रतिवादी का इकबालिया जवाब, वादिनी के साक्ष्य इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1172/3 रकबा 9.8015 हैक्टेयर ग्राम जानुपुरा पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अन्य खातेदारान् की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। वादिनी के उक्त भूमि खसरा नम्बर 1172/3 रकबा 9.8015 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता आसूसिंह से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के रकबा 24–12 बीघा दिनांक 06.04.2026 के क्रय की थी जो पत्रावली के संलग्न विक्रय पत्र की प्रति से साबित हैं। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर वादिनी के नाम क्रय की गई भूमि का नामान्तरणकरण दर्ज नहीं हुआ। आसूसिंह के फौत होने पर इनके नाम दर्ज भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की गई उक्त भूमि में से रकबा 24–12 बीघा भूमि विक्रय पत्र अनुसार वादिनी के नाम दर्ज की जानी थी जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण के गलत दर्ज की गई। वादिनी ने अपने साक्ष्य में प्रदर्श–1 विक्रय पत्र की प्रति, प्रदर्श–2 विरासत नामान्तरकरण संख्या 122 जानुपुरा, प्रदर्श–3 वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–2078 इत्यादि से साबित है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र किसी भी न्यायालय से आक्षेपित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम पर दर्ज भूमि में से वादिनी को विक्रय पत्र अनुसार रकबा 24–12 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जानुपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 1172/3 रकबा 9.8015 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में से माफिक विक्रय पत्र अनुसार रकबा 24–12 बीघा भूमि का वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में से कम की जावे। तहसीलदार बाप उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश पालना करावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर * बाप, जिला फलोदी (राज.) *

(सत्य नारायण–I,आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. पपू पत्नी रमजे खां जाति मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. भोमसिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. पृथ्वीसिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. जितेन्द्रसिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 221/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व नारायणसिंह भाटी एवं पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जानुपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 1172/3 रकबा 9.8015 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में से माफिक विक्रय पत्र अनुसार रकबा 24–12 बीघा भूमि का वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से में से कम की जावे। तहसीलदार बाप उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश पालना करावे।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसबते मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.04.2026 को जारी की गई।

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।